बिहार सरकार
योजना एवं विकास विभाग
(अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय)
बिहार, पटना

विज्ञापन दिनांक–12.02.2012
पैनल–मान्यताप्राप्त सांख्यिकी स्वयंसेवक (ASV)

मान्यताप्राप्त सांख्यिकी स्वयंसेवक (ASV) के चयन के संबंध में महत्वपूर्ण सूचना

मान्यताप्राप्त सांख्यिकी स्वयंसेवकों (ASV) के चयन के संबंध में यह भ्रांति है कि यह एक सरकारी सेवा है एवं जिसपर नियुक्ति की जानी है अथवा नियत मानदेय के आधार पर नियोजन किया जाना है। यह तथ्य नहीं है।

(2) इस प्रक्रिया के तहत सांख्यिकी कार्यो के लिए स्वयंसेवकों का एक पैनल मात्र तैयार किया जा रहा है।

(3) इस प्रकार, मान्यताप्राप्त सांख्यिकी स्वयंसेवकों (ASV) के लिए तैयार किए गए पैनल से कोई नियुक्ति नहीं की जाएगी अथवा मासिक रुप से किसी राशि का भुगतान नहीं किया जाएगा। उनसे कार्य लिए जाने की स्थिति में उसके एवज में उन्हे निर्धारित पारिश्रमिक का भुगतान मात्र किया जाएगा। ऐसी स्थिति में भविष्य में भी होनेवाली किसी भी नियुक्ति में किसी मान्यताप्राप्त सांख्यिकी स्वयंसेवकों (ASV) की नियुक्ति का कोई दावा मान्य नहीं होगा।

(4) मान्यताप्राप्त सांख्यिकी स्वयंसेवकों की औपबंधिक सूची निदेशालय के बेवसाईट पर प्रकाशित की गयी थी एवं इसके संबंध में आपत्ति होने की स्थिति में ई–मेल के माध्यम से आपत्ति दर्ज करने हेतु आवेदकों से अनुरोध किया गया था। आवेदकों से प्राप्त आपत्तियों का निराकरण कर संशोधित सूची निदेशालय के बेवसाइट पर उपलब्ध करा दिया गया है ।

(5) स्वयंसेवकों के लिए प्रखण्डवार तैयार किए गए इस पैनल से प्रखण्ड में यह संशोधित सूची पैनल की तरह कार्य करेगी। इसके आवेदकों को आवश्यकतानुसार विभिन्न कार्यो के लिए प्रशिक्षण हेतु आमंत्रित किया जायगा। प्रशिक्षण प्राप्ति हेतु आमंत्रण ई–मेल, मोबाईल से SMS या पत्र के माध्यम से सूचित किया जायगा।

(6) चयनित स्वयंसेवकों के लिए प्रथम चरण में प्रखण्ड स्तर पर प्रशिक्षण कार्यक्रम 24–30 सितम्बर,12 प्रस्तावित है। प्रशिक्षण की सूचना चयनित स्वयंसेवकों को उनके द्वारा दिए गए ई–मेल, मोबाईल संख्या या पत्र के माध्यम से दी जाएगी।

(7) प्रशिक्षण में भाग लेने हेतु यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

(8) प्रशिक्षण के उपरांत एक परीक्षा आयोजित की जायेगी जिसमें से उत्तीर्ण होने वाले स्वयंसेवकों को 'मान्याताप्राप्त सांख्यिकी स्वयंसेवक' का कृषि सांख्यिकी हेतु प्रमाण–पत्र दिया जायेगा।

(9) प्रमाण–पत्र देने के पूर्व स्वयंसेवकों को आवेदन में दिये गए सूचना से संबंधित प्रमाण–पत्र यथा– विभिन्न परीक्षा में उत्तीर्णता, जन्म तिथि तथा अनुभव से संबंधित प्रमाण–पत्र की स्वहस्ताक्षरित छाया प्रति प्रस्तुत करना होगा, आवेदन में दिये गए सूचना से संबंधित प्रमाण–पत्र नहीं होने अथवा अंकित सूचना के गलत पाए जाने की स्थिति में उनकी पात्रता निरस्त कर दी जाएगी।

(10) इस संबंध में यह भी स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि सम्बंधित प्रखंड/पंचायत में स्थायी रूप से निवास करने वाले स्वयंसेवकों के लिए ही सांख्यिकी स्वयंसेवक के रुप में कार्य करना सुलभ होगा क्योंकि उस प्रखण्ड/पंचायत में पूर्व से किसी कार्य में संलग्न रहते हुए भी सांख्यिकी से संबंधित कार्यों के लिये स्वयंसेवक के रुप में आप अपनी सेवा समर्पित कर सकेगें एवं कार्य नहीं मिलने की स्थिति में आप पूर्व से करते हुए कार्य को करते रह सकेंगे।

(10) माह में दो–चार दिन के लिए आवंटित कार्य के लिए आपको अपना पूर्व का कार्य छोड़ना नहीं पड़ेगा। विशेष परिस्थिति /आवश्वयकतानुसार चयनित स्वयंसेवकों को निकटतम दूसरे पंचायत में कार्य आवंटित किया जा सकता है।

सम्बंधित प्रखंड/पंचायत से बाहर रहने वाले स्वयंसेवकों की स्थिति में उन्हें बाहर में कर रहे कार्यों को छोड़कर संबंधित प्रखण्ड/पंचायत में आने पर अल्पावधि के लिए आवंटित कार्य को करना आर्थिक दृष्टिकोण से लाभदायक नहीं होगा।

नोटः– मान्यताप्राप्त सांख्यिकी स्वयंसेवकों (ASV) के लिए पैनल निर्माण न तो कोई सरकारी सेवा के लिए है जिसपर नियुक्ति की जानी है और न तो नियत मानदेय के आधार पर कोई नियोजन। इसलिए पूर्व से किसी कार्य में पूर्णकालिक रुप से संलग्न होने अथवा संबंधित प्रखण्ड/पंचायत से बाहर निवास करने वाले अभ्यर्थियों को अपना पूर्व का कार्य छोड़कर मान्यताप्राप्त सांख्यिकी स्वयंसेवकों (ASV) के रुप में आना उनके लिए व्यवहारिक नहीं होगा।

11/5/12

जितेन्द्र कुमार सिन्हा
वरीय संयुक्त निदेशक–सह–
कार्यालय प्रधान

11/9/12

Raju New ASV 05-09-12